राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 74/2021

नन्द कुमार व्यास —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
4. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.09.2021
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2020 एवं 09.07.2020 (अनुलग्नक—1 एवं 2) को खारिज कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूली की गई राशि 5,49,097/— को रिफण्ड कराने एवं दिनांक 11.07.1989 से वेतन श्रृंखला 950—1680 एवं उससे आनुसांगिक अनुलाभ में वेतन स्थिरीकरण के प्रदान करावाये, आदेश दिनांक 04.08.2014 के अंतर्गत वेतन श्रृंखला 5200—20200 के अंतर्गत ग्रेड—पे रूपये 2400 का लाभ दिनांक 11.07.2007 से दिये जाने, पुनःरीक्षित वेतनमान नियम 1998 के अंतर्गत दिनांक 01.09.1996 से वेतन श्रृंखला 3050—4590 को स्वीकृत करने एवं दिनांक 11.07.1998 से प्रथम चयनित वेतनमान रूपये 3200—4900 के स्थान पर वेतनमान 4000—6000 स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी अपनी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी विभाग से रेफ्रीजेरेटर मैकेनिक के पद से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दी गई सेवाओं के फलस्वरूप उपर्युक्त वर्णित परिलाभ/अनुतोष अभी तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को प्रदान नहीं किये गये है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसरण में इस सिद्वान्त के विपरीत जाकर अपीलार्थी के वेतन एवं वेतन से संबंधित

अनुलाभों के तहत् रूपये 5,45,097/– की वसूली करने की कोई वैधानिकता नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत विनिश्चय किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना किये बगैर एवं वैधानिक प्रक्रिया अपनाये बिना राशि की वसूली नहीं की जा सकती। अतः वसूली से संबंधित उक्त आदेश निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थी अपनी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत हो चुका है एवं अपीलार्थी को सेवानिवृति संबंधित पूर्ण लाभ भी नहीं दिये गये है, इसके विपरित प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व अपीलार्थी से एक बड़ी राशि की वसूली का आदेश पारित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को समर्पित की गई सेवाओं के अनुसरण में आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2020 एवं 09.07.2020 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को खारिज कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूली की गई राशि 5,49,097/– को रिफण्ड कराने एवं दिनांक 11.07.1989 से वेतन श्रृंखला 950–1680 एवं उससे आनुसांगिक अनुलाभ में वेतन स्थिरीकरण के प्रदान करावाये, आदेश दिनांक 04.08.2014 के अंतर्गत वेतन श्रृंखला 5200–20200 के अंतर्गत ग्रेड–पे रूपये 2400 का लाभ दिनांक 11.07.2007 से दिये जाने, पुनःरीक्षित वेतनमान नियम 1998 के अंतर्गत दिनांक 01.09.1996 से वेतन श्रृंखला 3050–4590 को स्वीकृत करने एवं दिनांक 11.07.1998 से प्रथम चयनित वेतनमान रूपये 3200–4900 के स्थान पर वेतनमान 4000–6000 स्वीकृत करने के आदेश पारित फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी को देय संशोधित द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान के आधार पर ही आधिक्य राशि रूपये 5,45,097/–की वसूली के विधिवत् आदेश जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को राज्य नियमानुसार देय वेतन एवं वेतन के आनुसांगिक लाभों के अनुसार ही विभिन्न वेतनश्रृंखलाओं में वेतन नियतन किया गया है, साथ ही चयनित वेतनमान के अंतर्गत अधिक भुगतान राशि हेतु जो आदेश प्रसारित किये गये है, वह नियमानुसार एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के मध्यनजर हमारे विनम्र मत में उचित पाते है कि अपीलार्थी को प्रदान की गई आधिक्य राशि के संबंध में तथा अपीलार्थी की अन्य मांगो के सापेक्ष न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थी का अभ्यावेदन राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देवें।

इस प्रकार अपील अपीलार्थी निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य